Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 14/2014

Sunil Thakur & Ors ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा वाद सं0–423/12–13 में दिनांक 19.11.13 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान उनके पूर्वज कलानंद ठाकुर के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का विवरण उल्लिखित नहीं) उनके पूर्वज के विरूद्ध Ceiling Case No. 231/1973-74, 48/1975-76 प्रारंभ करते हुए अधिशेष घोषित कर उत्तरवादियों तथा इनके पूर्वजों के नाम लाल कार्ड निर्गत की गई। इसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-1628/1984 तथा Ceiling अधिनियम की धारा 45B के अंतर्गत समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष वाद सं0–93/1983 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष विचाराधीन लंबित उक्त वाद के निष्पादन तक लाल कार्डधारियों को यदि दखल प्रदान नहीं किया गया तो इसके निष्पादन तक रोक लगाते हुए अंतिम आदेश पारित किया गया। समाहर्त्ता द्वारा वाद सं0–93/84–85 में दिनांक 09.02.1989 को आदेश पारित करते हुए उक्त सिलिंगवाद को पुनः प्रारंभ कर विचारण हेतु अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष हस्तांतरित कर दिया गया। अपर समाहर्त्ता ने विचारण पश्चात् यह पाया कि स्व0 कलानंद की उतनी भूमि नहीं है जिसे सिलिंग अंतर्गत अधिशेष घोषित किया जा सके। फलतः पूर्व में प्रकाशित गजट अधिसूचना के विरूद्ध सिलिंग एक्ट की धारा 15(1) के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत करते हुए निर्गत लाल कार्ड को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया किन्तु ऐसा नहीं हो पाने के कारण उत्तरवादियों द्वारा इनके दखल में व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा। फलतः इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता के समक्ष विविध वाद सं0–131A/1989–90 दायर किया गया जिसमें दिनांक 19.12.1989 को आदेश पारित करते हुए उत्तरवादियों को उक्त भूमि पर जाने से रोकने हेतु आदेश की प्रति संबंधित अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भेजी गई। अंचल अधिकारी,	

Web Copy Not Official.

		के0नगर ने उक्त आदेश के आलोक में कार्यालय पत्रांक 1615 दिनांक 07.08.91 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया कि उत्तरवादियों का लाल कार्ड एवं जमाबंदी विलोपित करते हुए उन्हें लालकार्ड जमा करने का निदेश दिया गया है। क्रमशः	
	लगातार 22.06.2023	उत्तरवादियों द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए निम्न न्यायालय में उक्त वाद सं0–423/2012–13 दायर किया गया जिसमें एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उत्तरवादियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों एवं क्षेत्राधिकार से परे तथा अवैध है। इन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। उत्तरवादियों द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा सिलिंग वाद सं0–231/1973–74 में पारित आदेश की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए था। बिहार सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ निजी उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को विधिवत् सूचना निर्गत की गई थी किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। प्रश्नगत भूमि उत्तरवादियों को लालकार्ड से प्राप्त है जिसपर ये विगत 30 वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण दखलकार है। ये सभी वैध बंदोबस्तधारी हैं। वर्ष 2013 में अपीलार्थी द्वारा इनके दखल–कब्जे में व्यवधान उत्पन्न किये जाने के विरूद्ध इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया जिसमें विचारोपरांत न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि अधिशेष घोषित होने के पश्चात् विधिवत् इनके पक्ष में लालकार्ड के माध्यम से वितरित की गई है। इन उत्तरवादियों को कभी भी किसी भी न्यायालय यथा माननीय उच्च न्यायालय, समाहर्त्ता अथवा अपर समाहर्त्ता के न्यायालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी इन्हें बलपूर्वक उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी इनके नाम से दर्ज है तथा वर्ष 2003 तक भू–लगान भुगतान है। उत्तरवादीगण समाज के कमजोर एवं महादलित/आदिवासी समुदाय के भूमिहीन व्यक्ति है जिनके नाम सिकमी खाता दर्ज है। उक्त भूमि पर अधिकांश उत्तरवादियों द्वारा इंदिरा आवास योजना अंतर्गत मकान भी निर्मित्त किया गया है। जबकि अपीलार्थी बहुत बड़े जमींदार हैं। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित एवं विधि सम्मत् है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह	

Web Copy. Not Official.

		स्पष्ट है कि विवादित भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करते हुए भूमिहीन व्यक्तियों (उत्तरवादियों) के पक्ष में बंदोबस्ती परवाना निर्गत की गई है। जिसपर वे लंबे समय से दखलकार हैं एवं इनके नाम जमाबंदी दर्ज है तथा वर्ष 2003 तक भू–लगान भुगतान किया गया है। अधिकांश उत्तरवादियों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर इंदिरा आवास योजना अंतर्गत मकान निर्मित कर निवास किया जा रहा है। उत्तरवादियों के पक्ष में निर्गत बंदोबस्ती परवाना अस्तित्व में रहने एवं लंबे समय से दखलकार होने के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा उनके दावे को सही क्रमशः	
	लगातार 22.06.2023	पाते हुए उक्त भूमि से बेदखली होने एवं जो पक्ष बेदखल हो गये हैं उन्हें पुनः बंदोबस्ती से प्राप्त जमीन पर दखल दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाकर इसे संपुष्ट करते हुए प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.